



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63261-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 294 वर्ष 2026

राजेश कुमार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: इम्तियाज हुसैन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता; राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

I. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को उनकी अवैध हिरासत से पेश करने और रिहा करने का निर्देश दिया जाए, जबकि याचिकाकर्ता की निरुद्धि, गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड और हिरासत को असंवैधानिक, अवैध और मनमाना घोषित किया जाए और परिणामस्वरूप यह निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा किया जाए,

II. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या संख्या 512 वर्ष 2025, धारा 318(4), 352, 351(3), 338, 336(3) और 340(2) बी.एन.एस. 2023, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 और उसकी सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द किया जाए।

III. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी को प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि वह गिरफ्तारी मेमो के खंड 13 में "गिरफ्तारी के आधार" का खुलासा करने में विफल रहा है, जो इस माननीय न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 35 वर्ष 2026 (उमंग रस्तोगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में निर्धारित कानून के अधिदेश के विपरीत है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



IV. कोई अन्य और अतिरिक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

V. वर्तमान याचिका को व्यय के साथ स्वीकार किया जाए।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 5 याचिकाकर्ता को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने की अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा, जो कि गिरफ्तारी मेमो से ही स्पष्ट है, जिससे उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दूषित हो गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, **2025** एससीसी ऑनलाइन एससी **2356** में स्पष्ट रूप से यह माना है कि सभी अपराधों में लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना अनिवार्य है और अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो जाते हैं। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा उमंग रस्तोगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या **35** वर्ष **2026** में पारित निर्णय और आदेश पर भी अवलम्ब लिया है। अंत में यह दर्शित किया गया है कि रिमांड आदेश दिनांक 13.03.2026 विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मुद्रित प्रोफार्मा पर पारित किया गया है।

4. राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. उपरोक्त तर्कों और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलम्ब लिए गए निर्णयों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 13.03.2026 को पारित रिमांड आदेश अवैध हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी, **(2022) 13** एससीसी **542** में यह माना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट वहां विचारणीय है जहां रिमांड पूरी तरह से अवैध हो या यांत्रिक रूप से पारित किया गया हो।

6. उपरोक्त रिमांड आदेश दिनांक 13.03.2026 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

7. उपरोक्त वर्णित बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

8. याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

9. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आज ही सामान्य शुल्क के भुगतान पर याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करे।

10. रिमांड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे भविष्य में रिमांड आदेश पारित करते समय इस न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या **209** वर्ष **2026**, मोहम्मद हारून एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं **5** अन्य में जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें।

11. प्रत्यर्थीगण के पास यह विकल्प है कि वे कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध नए सिरे से कार्यवाही करें।

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

26 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"